34

संख्या–725 /XVIII-(2)/14-4(15)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा),
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रियल एरिया,
पटेल नगर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 7 नवम्बर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) की क्षतिग्रस्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप मुख्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार ऊर्जा विभाग (अनुभाग–1) की पत्रावली संख्या–01/2014-03/13/2013 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश 44(21)PFI/2013-1773, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अनुमोदित तथा वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्यो हेतु ₹ 129.53 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही हेतु ₹ 91.20 लाख इस प्रकार औचित्यपूर्ण पायी गई कुल ₹ 220.73 लाख (₹ दो करोड़, बीस लाख, तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी/निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

5– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

6– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

7– प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

8– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

9– सम्बन्धित निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष

क्रमशः–2

व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

10– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण/जिलाधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

13– निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14– धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

15– उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

16– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

17– प्रश्नगत योजनाओं की दूसरी किस्त उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सभी स्वीकृतियाँ भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर लेंगे।

18– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत ऊर्जा सेक्टर हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.–65 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

क्रमशः.....3

संख्या– 725(1)/XVIII-(2)/14-4(15)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

शासनादेश संख्या–725/XVIII-(2)/2014-4(15)/2014, दिनांक नवम्बर, 2014 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	क्षमता	आगणन की लागत	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	
					निर्माण कार्य हेतु	उत्तराखण्ड अधि प्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	बागेश्वर	गोगीना लघु ज0वि0 परियोजना	2x25 KW	7.15	6.94	-
2	बागेश्वर	बॉछम लघु ज0वि0 परियोजना	2x250 KW	60.00	51.98	7.13
3	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ–2 लघु ज0वि0 परियोजना	1x200 KW	8.50	-	8.50
4	पिथौरागढ़	नागलिंग लघु ज0वि0 परियोजना	1x50 KW	20.00	3.73	15.96
5	पिथौरागढ़	सेला लघु ज0वि0 परियोजना	1x50 KW	5.00	1.55	3.33
6	पिथौरागढ़	दुग्तू लघु ज0वि0 परियोजना	1x25 KW	8.00	-	8.00
7	पिथौरागढ़	रॉगकॉग लघु ज0वि0 परियोजना	1x50 KW	5.00	4.99	-
8	पिथौरागढ़	नामिक लघु ज0वि0 परियोजना	1x50 KW	10.00	10.00	-
9	पिथौरागढ़	रैलागाड़ लघु ज0वि0 परियोजना	2x1500 KW	32.31	29.63	-
10	उत्तरकाशी	खापूगाड़ लघु ज0वि0 परियोजन	1x40 KW	6.58	6.44	-
11	उत्तरकाशी	चिलूड़गाड़ लघु ज0वि0 परियोजना	1x100 KW	9.50	9.21	-
12	पिथौरागढ़	बरार लघु ज0वि0 परियोजना	1x750 KW	5.06	5.06	-
13	बागेश्वर	लीती–2 लघु ज0वि0 परियोजना	2x25 KW	6.82	-	6.82
14	बागेश्वर	जगथाना लघु ज0वि0 परियोजना	2x50 KW	4.74	-	4.74
15	बागेश्वर	क्वारी लघु ज0वि0 परियोजना	2x25 KW	5.23	-	5.23
16	बागेश्वर	लामाबगड़ लघु ज0वि0 परियोजना	2x100 KW	5.33	–	5.33
17	बागेश्वर	बोरगांव लघु ज0वि0 परियोजना	1x25 KW	3.09	–	3.09
18	बागेश्वर	कनोलगाड़ लघु ज0वि0 परियोजना	2x50 KW	5.38	-	5.38
19	बागेश्वर	लीती–1 लघु ज0वि0 परियोजना	1x50 KW	4.60	-	4.60
20	बागेश्वर	बगर लघु ज0वि0 परियोजना	2x50 KW	4.50	-	4.50
21	बागेश्वर	दाक्टीगांव लघु ज0वि0 परि0	1x20 KW	4.63	-	4.63
22	बागेश्वर	बैझम लघु ज0वि0 परियोजना	2x25 KW	3.96	-	3.96
		योग			**129.53**	**91.20**
		कुल योग	₹ 129.53 + 91.20 = 220.73 लाख			

(₹ दो करोड़, बीस लाख, तिहत्तर हजार मात्र)

(भास्करानन्द)
सचिव